WWW.IJRPR.COM

International Journal of Research Publication and Reviews

Journal homepage: www.ijrpr.com ISSN 2582-7421

Legal Provisions Relating to Life Insurance in India

Rushika Hiwase [1], Roshani Panday[2]

LLM (3rd) sem Enrollment nomber 25LAW4LLM0022

[2] Coauthor –

सारांश (Abstract) :

जीवन बीमा व्यक्ति तथा उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु अथवा पॉलिसी में निर्धारित घटना घटित होने पर बीमा कंपनी पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बीमा राशि का भुगतान करती है। भारत में जीवन बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अधिनियम, विनियम और न्यायिक निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

जीवन बीमा से संबंधित प्रमुख कानूनों में बीमा अधिनियम, 1938; भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956; बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, IRDAI द्वारा बनाए गए विनियम पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करते हैं।

इस शोध पत्र में जीवन बीमा का कानूनी ढाँचा, बीमा अनुबंध के सिद्धांत, बीमाकर्ता एवं पॉलिसीधारक के अधिकार और दायित्व, बीमा दावे अस्वीकार किए जाने से संबंधित प्रावधान तथा प्रमुख न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण किया गया है।

मुख्य शब्द: जीवन बीमा, बीमा अधिनियम, 1938, IRDAI, बीमा अनुबंध, धारा 45, पॉलिसीधारक के अधिकार, न्यायिक निर्णय।

01. प्रस्तावना (Introduction)

जीवन बीमा व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर परिवार को आय की हानि, ऋण के भुगतान तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जीवन बीमा इन परिस्थितियों में पॉलिसी की शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है।
जीवन बीमा केवल एक वित्तीय व्यवस्था नहीं, बल्कि एक कानूनी अनुबंध भी है। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता निर्धारित प्रीमियम और अन्य शर्तों के अधीन बीमा राशि के भुगतान का दायित्व स्वीकार करता है। पॉलिसीधारक को प्रस्ताव पत्र में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सही उत्तर देने चाहिए तथा बीमा कंपनी को लागू कानूनों और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए।
भारत में जीवन बीमा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों का उद्देश्य बीमा व्यवसाय में पारदर्शिता, निष्पक्षता, वित्तीय स्थिरता तथा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।

02. शोध समस्या (Statement of the Problem)

जीवन बीमा से संबंधित विवाद प्रायः प्रस्ताव पत्र में गलत जानकारी देने, महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने, बीमा दावा अस्वीकार करने, नामांकन, पॉलिसी के समनुदेशन तथा पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या से उत्पन्न होते हैं।
कई बार पॉलिसीधारक और बीमा कंपनी के बीच जानकारी तथा कानूनी समझ का अंतर होता है। ऐसी स्थिति में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि बीमा कंपनी किन परिस्थितियों में दावा अस्वीकार कर सकती है, पॉलिसीधारक के कानूनी अधिकार क्या हैं तथा न्यायालय इन विवादों का समाधान किस प्रकार करते हैं।

03. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

- भारत में जीवन बीमा से संबंधित कानूनी ढाँचे का अध्ययन करना।
- बीमा अधिनियम, 1938 की प्रमुख धाराओं का विश्लेषण करना।
- जीवन बीमा अनुबंध के आवश्यक सिद्धांतों को समझना।
- बीमाकर्ता और पॉलिसीधारक के अधिकारों एवं दायित्वों का अध्ययन करना।
- जीवन बीमा दावों के अस्वीकार होने से संबंधित कानूनी प्रावधानों का विश्लेषण करना।
- जीवन बीमा संबंधी प्रमुख न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करना।
- पॉलिसीधारकों के संरक्षण और विवाद निवारण की व्यवस्था का मूल्यांकन करना।

04. शोध पद्धति (Research Methodology)

यह शोध पत्र वर्णनात्मक एवं विधिक शोध पद्धति पर आधारित है। इसमें प्राथमिक विधिक स्रोतों के रूप में अधिनियमों, विनियमों और न्यायिक निर्णयों का अध्ययन किया गया है। द्वितीयक स्रोतों में विधिक पुस्तकें, शोध लेख तथा सरकारी विभागों द्वारा प्रकाशित सामग्री शामिल हैं।
यह अध्ययन मुख्यतः उपलब्ध विधिक सामग्री पर आधारित है। इसमें कोई स्वतंत्र सर्वेक्षण अथवा प्राथमिक क्षेत्रीय शोध नहीं किया गया है।

05. भारत में जीवन बीमा से संबंधित प्रमुख कानून

5.1 बीमा अधिनियम, 1938 (Insurance Act, 1938)

बीमा अधिनियम, 1938 भारत में बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। इसमें बीमा कंपनियों के संचालन, बीमा पॉलिसियों तथा पॉलिसीधारकों के हितों से संबंधित अनेक प्रावधान हैं।
इसकी प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित हैं:
धारा 38 — पॉलिसी का समनुदेशन (Assignment): यह धारा जीवन बीमा पॉलिसी में निहित अधिकारों के समनुदेशन या हस्तांतरण से संबंधित है। समनुदेशन कानून में निर्धारित प्रक्रिया और शर्तों के अनुसार किया जाता है।
धारा 39 — नामांकन (Nomination): यह धारा पॉलिसीधारक को पॉलिसी के अंतर्गत मृत्यु लाभ प्राप्त करने के लिए नामित व्यक्ति या व्यक्तियों का नाम दर्ज कराने की व्यवस्था देती है। नामांकन और समनुदेशन अलग-अलग कानूनी अवधारणाएँ हैं। नामित व्यक्ति के अधिकार लागू कानून और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।
धारा 45 — जीवन बीमा पॉलिसी को चुनौती देने की सीमा: यह जीवन बीमा कानून की अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है। वर्तमान प्रावधान के अनुसार, पॉलिसी जारी होने, जोखिम शुरू होने, पॉलिसी के पुनर्जीवित होने या राइडर जारी होने की तारीखों में से जो तारीख सबसे बाद की हो, उससे तीन वर्ष बीत जाने के बाद पॉलिसी को किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। तीन वर्ष के भीतर चुनौती देने पर धारा में निर्धारित शर्तें लागू होती हैं। धोखाधड़ी तथा महत्वपूर्ण तथ्य के गलत विवरण के मामलों में संबंधित उपधाराओं की आवश्यकताओं का पालन करना होता है।
धारा 45 के वर्तमान स्वरूप को समझते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि 2015 के संशोधन से पहले कानून में दो वर्ष की अवधि थी। इसलिए पुराने न्यायिक निर्णयों का विश्लेषण वर्तमान प्रावधान के संदर्भ में सावधानीपूर्वक करना चाहिए।

5.2 भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (LIC Act, 1956)

इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना और उसके कार्यों के लिए वैधानिक व्यवस्था की गई।
धारा 3: भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना से संबंधित है।
धारा 6: निगम के कार्यों और दायित्वों से संबंधित है।
यह अधिनियम LIC की संस्थागत संरचना और कार्यप्रणाली का कानूनी आधार प्रदान करता है।

5.3 बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (IRDA Act, 1999)

इस अधिनियम के अंतर्गत बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य बीमा क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना है।
IRDAI बीमा क्षेत्र के नियमन, लागू नियमों के अनुपालन तथा बीमा कंपनियों के संचालन से संबंधित विषयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.4 भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872)

जीवन बीमा एक अनुबंध है, इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के सामान्य सिद्धांत भी प्रासंगिक हैं। इनमें संविदा करने की क्षमता, स्वतंत्र सहमति, वैध प्रतिफल, वैध उद्देश्य, धोखाधड़ी, गलत प्रस्तुतीकरण तथा संविदा के उल्लंघन से संबंधित कानूनी परिणाम शामिल हैं।
इन सिद्धांतों का प्रयोग विशेष बीमा कानूनों और संबंधित तथ्यों के साथ किया जाता है।

5.5 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019)

बीमा सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार या अन्य उपभोक्ता विवादों के मामलों में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 प्रासंगिक हो सकता है। कानून की आवश्यक शर्तें पूरी होने पर प्रभावित उपभोक्ता सक्षम उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है।

5.6 IRDAI के पॉलिसीधारक संरक्षण विनियम, 2024

IRDAI ने Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers Regulations, 2024 अधिसूचित किए। इनका उद्देश्य बीमा पॉलिसियों की बिक्री के दौरान उचित व्यवहार सुनिश्चित करना तथा बीमा कंपनियों और वितरण माध्यमों के दायित्व निर्धारित करना है।

06. जीवन बीमा अनुबंध के प्रमुख सिद्धांत

6.1 परम सद्भावना का सिद्धांत (Utmost Good Faith)

बीमा अनुबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में ईमानदारी और उचित पारदर्शिता अपेक्षित होती है। पॉलिसी लेने वाले व्यक्ति को प्रस्ताव पत्र में पूछे गए स्वास्थ्य, पूर्व बीमा

या अन्य जोखिम-संबंधी प्रश्नों के सही उत्तर देने चाहिए।
इसी प्रकार, बीमा कंपनी को भी पॉलिसी की शर्तें, लाभ, अपवाद और आवश्यक जानकारी स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। गलत जानकारी देने या किसी तथ्य को छिपाने के कानूनी परिणाम लागू कानून और मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं।

6.2 बीमायोग्य हित का सिद्धांत (Insurable Interest)

बीमायोग्य हित का अर्थ उस वैधानिक या मान्य हित से है जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन का बीमा किया जा सकता है। इस सिद्धांत का उद्देश्य ऐसे बीमा अनुबंधों को नियंत्रित करना है जिनमें बीमा कराने वाले व्यक्ति का बीमित जीवन से कोई मान्य हित न हो।

6.3 क्षतिपूर्ति का सिद्धांत (Principle of Indemnity)

क्षतिपूर्ति का सिद्धांत सामान्यतः संपत्ति और अन्य क्षतिपूर्ति-आधारित बीमा में महत्वपूर्ण होता है। जीवन बीमा सामान्यतः क्षतिपूर्ति अनुबंध नहीं है, क्योंकि भुगतान पॉलिसी में निर्धारित राशि और शर्तों के अनुसार किया जाता है।

6.4 कारण-समीपता का सिद्धांत (Proximate Cause)

यह सिद्धांत बीमित घटना या हानि के प्रभावी निकटतम कारण का निर्धारण करने में सहायता करता है। इसकी प्रासंगिकता बीमा के प्रकार, पॉलिसी की शर्तों और विवाद के तथ्यों पर निर्भर करती है।

6.5 प्रत्यासन का सिद्धांत (Subrogation)

प्रत्यासन का सिद्धांत मुख्यतः क्षतिपूर्ति-आधारित बीमा में लागू होता है। जीवन बीमा में इसे सामान्यतः संपत्ति बीमा की तरह लागू नहीं किया जाता।

07. जीवन बीमा से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय (Case Laws)

7.1 Mithoolal Nayak v. Life Insurance Corporation of India

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा पॉलिसी को गलत जानकारी या महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के आधार पर चुनौती देने से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया। न्यायालय ने उस समय लागू धारा 45 के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य के गलत विवरण, धोखाधड़ी और पॉलिसीधारक की जानकारी से संबंधित पहलुओं का विश्लेषण किया।
कानूनी महत्व: यह निर्णय जीवन बीमा में महत्वपूर्ण तथ्यों के खुलासे तथा पॉलिसी को चुनौती देने के ऐतिहासिक कानूनी सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण है। चूँकि यह पुराने कानूनी प्रावधान के संदर्भ में था, इसलिए इसे वर्तमान धारा 45 के साथ पढ़ना आवश्यक है।

7.2 Life Insurance Corporation of India v. Smt. G.M. Channabasemma

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन बीमा अनुबंध में सद्भावना तथा महत्वपूर्ण तथ्यों के संबंध में पक्षकारों के दायित्वों पर विचार किया।
कानूनी महत्व: यह निर्णय दर्शाता है कि बीमा विवादों में प्रस्ताव पत्र, उपलब्ध साक्ष्य तथा पक्षकारों के आचरण का मूल्यांकन महत्वपूर्ण होता है। विवाद का निर्णय लागू कानून और प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर किया जाना चाहिए।

7.3 Life Insurance Corporation of India v. Smt. Asha Goel

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा दावा अस्वीकार करने तथा बीमा कंपनी द्वारा अपने निर्णय के समर्थन में पर्याप्त आधार प्रस्तुत करने के महत्व पर विचार किया।
कानूनी महत्व: बीमा कंपनी द्वारा दावा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में निर्णय संबंधित पॉलिसी की शर्तों, लागू कानूनी प्रावधानों और साक्ष्य के आधार पर परखा जा सकता है। बीमा दावों के मामलों में अनावश्यक देरी और मनमाने व्यवहार से बचना महत्वपूर्ण है।

7.4 Life Insurance Corporation of India v. Consumer Education & Research Centre

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने LIC की नीतियों और पॉलिसीधारकों के हितों से जुड़े व्यापक प्रश्नों पर विचार किया। न्यायालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा संस्थान की कार्यप्रणाली में निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के महत्व पर जोर दिया।
कानूनी महत्व: यह निर्णय बीमा सेवाओं में निष्पक्षता, उचित व्यवहार और पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के महत्व को समझने में उपयोगी है।

7.5 Reliance Life Insurance Co. Ltd. v. Rekhaben Nareshbhai Rathod

इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जीवन बीमा प्रस्ताव पत्र में पूर्व बीमा पॉलिसी के बारे में जानकारी न देने के प्रश्न पर विचार किया। न्यायालय ने मामले की परिस्थितियों और उस समय लागू धारा 45 के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्यों के खुलासे का मूल्यांकन किया।
कानूनी महत्व: यह निर्णय दर्शाता है कि प्रस्ताव पत्र में पूछी गई महत्वपूर्ण जानकारी को सही ढंग से देना आवश्यक है। धारा 45 की समय-सीमा और वर्तमान कानूनी स्थिति को ध्यान में रखे बिना इस निर्णय को हर मामले पर समान रूप से लागू नहीं माना जाना चाहिए।

08. बीमा दावा अस्वीकार होने पर कानूनी उपाय

- यदि जीवन बीमा कंपनी दावा अस्वीकार करती है, तो पॉलिसीधारक या पात्र लाभार्थी परिस्थितियों के अनुसार निम्नलिखित उपाय अपना सकता है:

- बीमा कंपनी में शिकायत: सबसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- IRDAI के माध्यम से शिकायत: नियामक के उपलब्ध शिकायत माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है।
- बीमा लोकपाल (Insurance Ombudsman): निर्धारित पात्रता और प्रक्रिया के अनुसार बीमा विवाद को बीमा लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।
- उपभोक्ता आयोग: जहाँ कानून के अंतर्गत अधिकारिता उपलब्ध हो, वहाँ सेवा में कमी या अनुचित व्यवहार के संबंध में शिकायत की जा सकती है।
- न्यायालय: उपयुक्त मामले में संबंधित न्यायालय या अन्य सक्षम मंच के समक्ष कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- शिकायत के साथ पॉलिसी दस्तावेज, प्रीमियम भुगतान का प्रमाण, दावा प्रपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र (जहाँ लागू हो), बीमा कंपनी का अस्वीकृति पत्र तथा संबंधित पत्राचार सुरक्षित रखना उपयोगी होता है।

09. पॉलिसीधारक के अधिकार एवं दायित्व

अधिकार :-

- पॉलिसी की शर्तों और लाभों की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करना।
- लागू कानून और पॉलिसी की शर्तों के अनुसार दावा भुगतान प्राप्त करना।
- नामांकन या समनुदेशन से संबंधित वैधानिक अधिकारों का उपयोग करना।
- बीमा कंपनी के निर्णय के विरुद्ध उपलब्ध शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनाना।
- अनुचित व्यवहार या सेवा में कमी के विरुद्ध कानून के अनुसार राहत माँगना।

दायित्व :-

- प्रस्ताव पत्र में पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर देना।
- स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण जोखिम-संबंधी तथ्यों का उचित खुलासा करना।
- प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी की शर्तों के अनुसार करना।
- पॉलिसी दस्तावेजों और पत्राचार को सुरक्षित रखना।
- दावा प्रस्तुत करते समय सही और पूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराना।

10. सुझाव

- बीमा कंपनियों को पॉलिसी की शर्तें, अपवाद और लाभ सरल भाषा में स्पष्ट करने चाहिए।
- पॉलिसीधारकों को प्रस्ताव पत्र स्वयं पढ़कर सही जानकारी देनी चाहिए।
- बीमा दावे अस्वीकार करने के कारण लिखित और स्पष्ट होने चाहिए।
- शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- पॉलिसीधारकों को धारा 45 तथा नामांकन और समनुदेशन के कानूनी प्रभाव के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
- बीमा कंपनियों को लागू IRDAI विनियमों और उपभोक्ता संरक्षण संबंधी दायित्वों का पालन करना चाहिए।
- जीवन बीमा विवादों में कानूनी सहायता और वैकल्पिक विवाद निवारण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

11. निष्कर्ष (Conclusion)

भारत में जीवन बीमा से संबंधित कानूनी प्रावधान पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने, बीमा कंपनियों के दायित्व निर्धारित करने और बीमा विवादों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बीमा अधिनियम, 1938; LIC अधिनियम, 1956; IRDA अधिनियम, 1999; भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 इस क्षेत्र के प्रमुख कानूनी आधार हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने महत्वपूर्ण तथ्यों के खुलासे, बीमा दावों के मूल्यांकन और पॉलिसीधारकों के संरक्षण से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट करने में योगदान दिया है। प्रभावी संरक्षण के लिए कानूनों का उचित क्रियान्वयन, निष्पक्ष दावा निपटान, पारदर्शिता और कानूनी जागरूकता आवश्यक हैं।

अंततः, जीवन बीमा व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बीमा कंपनियाँ अपने वैधानिक दायित्वों का पालन करें और पॉलिसीधारक अपने अधिकारों तथा दायित्वों से परिचित रहें।

12. संदर्भ :-

- भारत सरकार, Insurance Act, 1938।
- भारत सरकार, Life Insurance Corporation Act, 1956।
- भारत सरकार, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999।
- भारत सरकार, Indian Contract Act, 1872।
- भारत सरकार, Consumer Protection Act, 2019।
- IRDAI, Protection of Policyholders' Interests, Operations and Allied Matters of Insurers Regulations, 2024।

वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार — https://financialservices.gov.in/
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण — https://irdai.gov.in/
India Code — https://www.indiacode.nic.in/